

क्रमांक 3317002 / छ.ग. / 2018 /  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /02/2019

प्रति,

मुख्य अभियंता,

1. हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
2. महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर


विषय :- अधीक्षण अभियंताओं (रू.) को पदस्थापना शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 01-04 / 31 / स्था. / 2018, दिनांक 20.02.2019.

\*\*\*\*\*

विषयांतर्गत शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। कृपया संबंधित अधीक्षण अभियंताओं (रू.) को स्थानान्तरण/पदस्थापना शासनादेश की प्रति सौंपकर पालन प्रतिवेदन से शासन एवं इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


  
अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर  
दिनांक 27 / 02 / 2019

पृष्ठां. क्रमांक 3317002 / छ.ग. / 2018 / 2828  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मण्डल, रायपुर।
3. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. संबंधित श्री डी.सी. जैन, अधीक्षण अभियंता (रू.) द्वारा स.क्र.-03
5. संबंधित श्री पी.के. वर्मा, अधीक्षण अभियंता द्वारा स.क्र.-02
6. संबंधित श्री कुबेर सिंह गुरुवर, अधीक्षण अभियंता (रू.), कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
7. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मास्टर नस्ती।

की ओर शासनादेश की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।  
(स.क्र. 02 से 08 हेतु)

  
अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर





छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

-:: आदेश ::-

part 1

212

अटल नगर रायपुर, दिनांक 20.02.2019

क्रमांक एफ 01-04/31/स्था./2018 ::- राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए श्री कुबेर सिंह गुरुवर, अधीक्षण अभियंता (रू.) कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

2/ इनके वेतनादि का आहरण पूर्व प्राप्त वेतन अनुसार ही आहरित होगा।

3/ श्री पी.के. वर्मा, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर की सेवानिवृत्ति दिनांक 28.02.2019 से श्री डी.सी. जैन, अधीक्षण अभियंता, (रू.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर रिक्त पद में पदस्थ करता है।

4/ सामान्य प्रशासन विभाग के जारी स्थानांतरण नीति-2017 निहित प्रावधान अंतर्गत माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(वृन्दावन सेन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

अटल नगर रायपुर, दिनांक 20.02.2019

पृष्ठांकन क्र. एफ 01-04/31/स्था./2018

प्रतिलिपि:-

1. मान0 मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ0ग0 शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर,
2. निज सचिव, सचिव/संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर,
3. कलेक्टर, जिला-बिलासपुर,
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर,
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर छत्तीसगढ़,
6. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर/जगदलपुर/दुर्ग/कोरबा,
7. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय बिलासपुर/रायपुर,
8. संबंधित अधिकारी सर्वश्री श्री कुबेर सिंह गुरुवर, डी.सी. जैन, द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
9. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
रायपुर (छ.ग.)

21 FEB 2019

कक्ष.....

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

आवक क्रमांक 1443  
दिनांक 25/02/19

part II (213)

छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर  
--: आदेश :-

- अटल नगर रायपुर, दिनांक 20.02.2019
- क्रमांक एफ 01-04/31/स्था./2018 :- राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए श्री कुबेर सिंह गुरुवर, अधीक्षण अभियंता (रू.) कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर का प्रभार सौंपा जाता है।
- 2/ इनके वेतनादि का आहरण पूर्व प्राप्त वेतन अनुसार ही आहरित होगा।
- 3/ श्री पी.के. वर्मा, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर की सेवानिवृत्ति दिनांक 28.02.2019 से श्री डी.सी. जैन, अधीक्षण अभियंता, (रू.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर (विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर रिक्त पद में पदस्थ करता है।
- 4/ सामान्य प्रशासन विभाग के जारी स्थानांतरण नीति-2017 निहित प्रावधान अंतर्गत माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(वृन्दाधन सेन) 20/2/2019  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

अटल नगर रायपुर, दिनांक 20.02.2019

पृष्ठांकन क्र. एफ 01-04/31/स्था./2018  
प्रतिलिपि:-

- माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर,
- निज सचिव, सचिव/संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर,
- कलेक्टर, जिला-बिलासपुर,
- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर,
- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर छत्तीसगढ़,
- अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर/जगदलपुर/दुर्ग/कोरबा,
- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय बिलासपुर/रायपुर,
- संबंधित अधिकारी सर्वश्री श्री कुबेर सिंह गुरुवर, डी.सी. जैन, द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
- आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
रायपुर (छ.ग.)

331  
SE(A)  
21 FEB 2019  
E INC

आवक क्रमांक 1442  
दिनांक 25/02/19